

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, करौली

क्रमांक :खअ / करौ / बजरी अवैध / 2025 /

दिनांक:-15.07.2025

प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की चैकिंग के दौरान जब्त की गयी खनिज बजरी की नीलामी दिनांक 06.08.2025 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय खनि अभियन्ता, करौली परिसर में की जावेंगी। इच्छुक बोलीदाता नीलामी से पूर्व बयाना राशि एवं प्रतिभूति राशि का डी0डी0 खनि अभियन्ता, करौली के पक्ष में कार्यालय में जमा कराकर बोली में भाग ले सकेंगे।

क्र. सं.	सामग्री का नाम	भण्डारण स्थल	अनुमानित मात्रा	अनुमानित लागत मूल्य	बयाना राशि	अमानता राशि
1	खनिज बजरी	पंवारपुरा(हाडौती) तहसील सपोटरा	9870 टन	64,15,500 / -	128310 / -	320775 / -

नोट:- नीलामी से संबन्धित शर्तों एवं खनिज बजरी के स्टॉक (भण्डारण) की सूची का अवलोकन विभागीय वेबसाईट mines.rajasthan.gov.in पर जाकर किया जा सकता है एवं इस संबंध में जानकारी कार्यालय दिवस में कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।

(डी0 एस0 मीना)
खनि अभियन्ता,
करौली



राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, करौली

क्रमांक:-खअ/करौ/बजरी अवैध/2025/

दिनांक:- 15.07.2025

श्रीमान निदेशक महोदय,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- प्रेस विज्ञप्ति जारी करवाने बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत कार्यालय द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की चैकिंग के दौरान जब्त की गयी खनिज बजरी की नीलामी के संबंध में सर्वसाधारण को सूचित किये जाने बाबत प्रेस विज्ञप्ति संलग्न कर निवेदन है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन एक राज्य स्तरीय एवं एक भारतीय स्तर के समाचार पत्र के साथ-साथ कोई भी व्यवसायिक पत्रिका (जर्नल) में जिसे एन.आई.टी. (टेन्डर) मुद्रित करने में विशिष्टता हो, के एक अंक में न्यूनतम स्थान में डी.आई.पी.आर. दरो पर प्रकाशित कराया जाकर बिल दो प्रतियों में कार्यालय को भिजवाने का श्रम करे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डी.एस.मीना)
खनि अभियन्ता
करौली

क्रमांक :- समसंख्यक /

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान निदेशक महोदय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे, साथ ही नीलाम की जाने वाली खनिज बजरी की न्यूनतम कीमत 15.00 लाख से अधिक होने के कारण सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पार्ट II के नियम 22 (1)(a) के अनुसार आप द्वारा नामित किसी वरिष्ठतम अधिकारी की नीलामी कार्यवाही में उपस्थिति अपेक्षित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर करौली।
3. श्रीमान वित्तीय सलाहकार, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि खनिज बजरी की न्यूनतम कीमत 15.00 लाख से अधिक होने के कारण सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पार्ट II के नियम 22 (1)(a) के अनुसार आप द्वारा नामित अधिकारी जो कि लेखाधिकारी से नीचे का पद नहीं हो, की नीलामी कार्यवाही में उपस्थिति अपेक्षित है।
4. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर को सूचनार्थ व नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने बाबत।
5. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, राजसमंद को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने बाबत।
6. श्रीमान कोषाधिकारी करौली को भेजकर निवेदन है कि नीलामी कार्यवाही दिनांक 06.08.2025 को प्रातः 11:00 बजे अपना प्रतिनिधि जो कि लेखाधिकारी से नीचे का पद नहीं हो नामित कर नीलामी कार्यवाही में भिजवाने का श्रम करे।
7. लिपिक डाक जावक शाखा कार्यालय हाजा को कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

खनि अभियन्ता
करौली

RajKaj Ref No.:
16563627

eSign 1.0

खनिज बजरी नीलामी की शर्तें

1. बोलीदाता को पहचान पत्र/फोटो आई डी इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा, एवं मुख्यारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।
2. बोलीदाता द्वारा विभाग के किसी कार्यालय में किसी भी प्रकार की बकाया नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र राशि 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नीलामी के समय प्रस्तुत करना होगा।
3. बोलीदाता को वस्तु एवं सेवाकर विभाग के जीएसटी संख्या की प्रति व आयकर विभाग के पेन कार्ड की प्रति नीलामी के समय प्रस्तुत करनी होगी।
4. बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व अनुमानित लागत 64,15,500/- की 2 प्रतिशत बयाना राशि एवं 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि का डी.डी. खनि अभियन्ता, करौली के पक्ष में कार्यालय में नीलामी के समय जमा कराना होगा।
5. सफल बोलीदाता को बोली के पश्चात 3 दिवस (बोली दिवस को छोड़कर) में विक्रय मूल्य की अन्तर राशि (बयाना राशि एवं अमानत राशि को छोड़कर) के साथ-साथ जी.एस.टी. एवं टी.डी.एस. संबंधित बजट मद में जमा करवाकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करवानी होगी। तय समयावधि में राशि जमा नहीं कराये जाने पर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. अनुमानित मात्रा से अधिक माल होने पर सफल बोलीदाता को ही अवशेष माल की राशि जमा कराने के पश्चात् ही अवशेष माल को उठाने की अनुमति दी जावेगी। राशि जमा नहीं कराने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. बोली 10/-रुपये प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी।
8. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण बोली दिनांक से पूर्व खनिज बजरी के स्वयं के स्तर से भण्डारण स्थल पर पहुँचकर किया जा सकता है।
9. जब्तशुदा बजरी जिस स्थिति में है जहाँ है उसी स्थिति में सफल बोलीदाता को सुपुर्द की जावेगी।
10. बोलीदाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्चे) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय बोलीदाता का ही होगा।
11. बोलीदाता द्वारा राशि 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा जब्तशुदा खनिज बजरी के स्टॉक की गुणवत्ता का पूर्णतया निरीक्षण कर लिया गया है एवं खनिज बजरी जिस स्थिति में है जहाँ है उसी स्थिति में संतुष्ट हूँ एवं भविष्य में इस प्रकरण से संबंधित तथ्यों के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई वाद/विवाद प्रस्तुत नहीं करूंगा।
12. सफल बोलीदाता को बोली राशि के अलावा जी.एस.टी., टी.डी.एस. एवं अन्य देय कर नियमानुसार जमा करवाने होंगे।
13. नीलामी स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय नीलामी कमेटी का होगा एवं नीलामी के संबंध में कोई उज्र /आपत्ती होने पर निर्णय से संबंधित समस्त अधिकार कमेटी के पास सुरक्षित होंगे एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र करौली होगा।
14. सफलतम बोलीदाता को परिवहन हेतु अधिकतम 20 दिवस ही अनुमत होगी।

15. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय में कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
16. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बेलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियंता एवं अधीक्षण खनि अभियंता(सतर्कता) को **What's app** पर भेजने के पश्चात् ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
17. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधिकृत तुला यंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के संबंधित उपर अंकित अधिकारियों को **What's app** पर भेजने के पश्चात् ही वाहनों को खाना किया जा सकेगा।
18. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
19. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो, वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
20. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
21. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रति कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
22. खनिज के परिवहन हेतु विभाग के कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मैनुअल रवन्ना जारी किया जायेगा।
23. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।
24. शेष सभी शर्तें सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम के अनुसार रहेंगी।

(डी.एस.मीना)
खनि अभियन्ता
करौली

राजस्थान सरकार
खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, करौली

कार्यालय द्वारा पवारपुरा निकट हाडौती तहसील सपोटरा जिला करौली में जब्त खनिज बजरी
के भण्डारण के स्थलों की सुची

क्र. सं.	खसरा संख्या	अक्षांतर देशांतर	बजरी की मात्रा लगभग (मात्रा टन में)	विशेष विवरण
1.	1161	26°11'32.44 76°37'20.76	80	किस्म गै.मु.नदी राज सरकार
		26°11'33.09'' 76°37'20.84''	80	
		26°11'37.24'' 76°37'17.11''	240	
2.	1013	26°11'37.36'' 76°37'22.11''	1000	किस्म चाही—A खातेदारी
3.	1016 / 01	26°11'38.60'' 76°37'23.08''	500	किस्म गै.मु. बीहड राज सरकार
4.	1011	26°11'40.66'' 76°37'21.78''	300	किस्म चाही—A खातेदारी
5.	1016 / 01	26°11'41.40'' 76°37'22.58''	80	किस्म गै.मु. बीहड राज सरकार
6.	1016 / 02	26°11'41.96'' 76°37'23.05''	120	किस्म बारानी—3 खातेदारी
7.	1016 / 03	26°11'43.20'' 76°37'23.16''	200	किस्म बारानी—3 खातेदारी
8.	1010	26°11'43.04'' 76°37'22.00''	50	किस्म चाही—A खातेदारी
9.	1042 / 03	26°11'45.63'' 76°37'22.87''	250	किस्म बारानी—3 खातेदारी
10.	1040	26°11'45.59'' 76°37'25.06''	150	किस्म बारानी—2 खातेदारी
11.	1042 / 02	26°11'46.35'' 76°37'24.17''	120	किस्म बारानी—2 खातेदारी
12.	1088	26°11'56.31'' 76°37'12.75''	150	किस्म चाही—A खातेदारी

13.	800	26°11'58.13'' 76°37'09.77''	380	किस्म चाही-2 खातेदारी
14.	1089	26°11'55.58'' 76°37'13.87''	650	किस्म चाही-A खातेदारी
15.	1087	26°11'54.66'' 76°37'13.16''	200	किस्म बारानी-1 खातेदारी
16.	1086	26°11'54.79'' 76°37'15.37''	300	किस्म बारानी-1 खातेदारी
17.	1093	26°11'53.63'' 76°37'15.70''	50	किस्म चाही-A खातेदारी
18.	1090	26°11'53.14'' 76°37'16.01''	150	किस्म चाही-A खातेदारी
19.	1078	26°11'51.76'' 76°37'17.57''	200	किस्म चाही-1 खातेदारी
20.	1075	26°11'50.83'' 76°37'19.48''	250	किस्म चाही-1 खातेदारी
21.	1042/01	26°11'49.72'' 76°37'19.92''	200	किस्म गै.मु. आबादी राज सरकार
		26°11'49.74'' 76°37'20.62''	60	
		26°11'48.74'' 76°37'21.14''	50	
		26°11'49.32'' 76°37'21.85''	60	
		26°11'51.58'' 76°37'24.63''	100	
		26°11'49.82'' 76°37'24.09''	150	
		26°11'51.33'' 76°37'25.91''	150	
22.	1072	26°11'51.90'' 76°37'24.55''	50	किस्म ठहरी-3 खातेदारी
23.	1043	26°11'52.16'' 76°37'25.82''	200	किस्म ठहरी-3 खातेदारी

24.	1046 / 01	26°11'52.05'' 76°37'27.99''	120	किस्म गै.मु. बीहड राज सरकार
25.	1166 / 1032	26°11'51.31'' 76°37'10.42''	150	किस्म गै.मु. बीहड राज सरकार
26.	1166 / 1032	26°11'52.23'' 76°37'30.82''	200	किस्म गै.मु. बीहड राज सरकार
		26°11'51.71'' 76°37'31.25''	200	
27.	1068 / 06	26°11'57.05'' 76°37'27.20''	50	किस्म चाही खातेदारी
28.	1050	26°11'57.49'' 76°37'26.86''	100	किस्म गै.मु. बीहड राज सरकार
		26°11'57.73'' 76°37'27.36''	100	
29.	1051	26°11'58.32'' 76°37'27.54''	150	किस्म बारानी-1 खातेदारी
30.	1032 / 02	26°11'57.46'' 76°37'28.60''	150	किस्म बारानी-2 खातेदारी
		26°11'59.61'' 76°37'29.31''	150	
31.	818	26°12'00.80'' 76°37'29.81''	150	किस्म बारानी-1 खातेदारी
32.	817	26°12'02.63'' 76°37'28.62''	120	किस्म बारानी-1 खातेदारी
33.	814	26°12'02.34'' 76°37'21.55''	350	किस्म गै.मु. बीहड राज सरकार
		26°12'06.68'' 76°37'23.33''	160	
		26°12'07.53'' 76°37'23.73''	150	
34.	1053	26°12'07.32'' 76°37'24.57''	110	किस्म ठहरी-3 खातेदारी
35.	824 / 06	26°12'12.61'' 76°37'35.28''	100	किस्म बारानी-3 खातेदारी
		26°12'16.62'' 76°37'40.71''	150	
		26°12'16.06'' 76°37'41.71''	80	
		26°12'16.31'' 76°37'42.48''	50	

36.	974 / 04	26°12'16.01'' 76°37'43.43''	40	किस्म बारानी-3 खातेदारी
		26°12'16.51'' 76°37'43.43''	50	
37.	974 / 40	26°12'14.00'' 76°37'42.54''	150	किस्म बारानी-3 खातेदारी
38.	974 / 12	26°12'21.97'' 76°37'42.40''	60	किस्म बारानी-3 खातेदारी
39.	965 / 02	26°12'25.82'' 76°37'57.41''	60	किस्म बारानी-2 खातेदारी
40.	953	26°12'32.18'' 76°37'03.36''	50	किस्म बारानी-1 खातेदारी
41.	850	26°12'40.66'' 76°37'30.34''	150	किस्म बारानी-2 खातेदारी
कुल खनिज बजरी			लगभग 9870 टन	

खनि अभियंता
करौली